

राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ 4() आयो/आकाशि/विविध/2019/1561

दिनांक 25 नवम्बर 2019

प्राचार्य,
समस्त राजकीय महाविद्यालय,
राजस्थान।


विषय:- महाविद्यालय विकास समिति को 80जी के तहत छूट प्रावधान बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि महाविद्यालय विकास समिति कोष में भामाशाहों/दानदाताओं से राशि प्राप्त करने में 80जी के तहत छूट के प्रावधान हेतु निम्न प्रक्रियानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें-

1. महाविद्यालय विकास समिति का गठन कर, राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के अंतर्गत रजिस्टर्ड करवायें।
2. महाविद्यालय विकास समिति का पेन कार्ड बनवायें।
3. महाविद्यालय विकास समिति कोष के विगत तीन वर्ष के लेखे की चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) से ऑडिटिंग करवायें।
4. इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 80जी के तहत छूट के लिये संबंधित रैन्ज के आयुक्त, आयकर विभाग को आवेदन करें।

भवदीय



संयुक्त निदेशक (आयोजना)
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक: एफ 4() आयो/आकाशि/विविध/2019/1562

दिनांक 25 नवम्बर, 2019

प्रतिलिपि :-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर।
3. निजी सहायक, अतिरिक्त आयुक्त कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर।
4. वित्तीय सलाहकार, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान जयपुर।
5. वेबसाईट प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त निदेशक (आयोजना)